संख्याः 313(1)/सैतीस–2–2018–5(53)/2018टी0सी0–I

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त, जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 11 फरवरी, 2019

विषयः–प्रदेश के समस्त जनपदों में गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन एवं भरण–पोषण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि के उपयोग की प्रक्रिया विषयक।

महोदय,

कृपया पशुधन अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–150/सैतीस–2–2019–5(53)/ 2018 टीसी–1 दिनांक 18.01.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के भरण पोषण हेतु मण्डी परिषद से रू0 78.50 करोड (बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों को प्रति जनपद रू0 1.50 करोड़ की दर से तथा शेष 68 जनपदों को प्रतिजनपद रू0 1.00 करोड़ की दर से) की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। गोवंश आश्रय स्थलों के सचालन/भरण पोषण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि के वितरण/उपयोग करने की प्रक्रिया विषयक मार्ग निर्देश उपलब्ध कराने की मांग कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा की गयी है।

2. उपरोक्त के क्रम में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संचालित स्थायी/अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन/भरण पोषण हेतु जनपद स्तर पर प्राप्त धनराशि का वितरण/उपयोग निम्न प्रकियानुसार किया जायेः–

2.1 भरण–पोषण/संचालन अनुदान दिये जाने योग्य स्थायी/अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों का चिन्हांकनः–

(i) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति द्वारा संचालन/भरण–पोषण हेतु दिये जाने वाले अनुदान हेतु सर्वप्रथम जनपद में स्थित गोवंश आश्रय स्थल चिन्हित किये जायेंगे।

(ii) ऐसे स्थायी/अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल जो जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में स्थापित किये गये हैं, उनका चिन्हांकन अनुदान देयता हेतु किया जायेगा।

(iii)शासन स्तर से दी गयी धनराशि द्वारा एवं जिलाधिकारी द्वारा डवटेलिंग के माध्यम से अन्य विभागों की धनराशि के उपयोग से एवं/अथवा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर धनराशि एकत्रित कर स्थापित की गयी गोवंश आश्रय स्थल/गौशालायें संचालन/भरण–पोषण अनुदान प्राप्त करने हेतु चिन्हित की जायेंगी।

(iv) ऐसी गौशालायें जो धमार्थ कार्य की संस्थाओं द्वारा स्थापित की गयी हैं एवं/अथवा व्यावसायिक रूप में संचालन करने हेतु निजी संस्थाओं/निजी व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गयी हैं एवं/अथवा गो सेवा अधिनियम–1964 के अंतर्गत पंजीकृत की गयी हैं, वह चिन्हित नहीं की जायेंगी।

Scanned by CamScanner

2.2 जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित गोवंश आश्रय स्थलों का संचालन/भरण–पोषण हेतु खाताः–

(i) प्रस्तर–2.1 के अनुसार चिन्हित अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण/स्थापना तथा संचालन का कार्य जिस स्तर पर किया जा रहा है, वहॉ पर एक पृथक खाता आश्रय स्थल/स्थलों पर पशुओं के नैत्यिक भरण–पोषण/संचालन हेतु खोला जायेगा (यथा ग्रामीण क्षेत्र में जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत स्तर, नगर पालिका स्तर पर तथा नगर निगम स्तर पर)। यह खाता ग्रामीण एवं शहरी निकायों में संचालित नियमित खातों से पृथक खाता होगा। इन खातों में यथा मॉग के अनुसार जिला स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति द्वारा धनराशि का अन्तरण किया जायेगा।

(ii) इस खाते का संचालन जिला स्तर पर जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से, तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी/तहसीलदार एवं तहसील स्तर पर उपलब्ध पशु चिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से, क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी तथा क्षेत्र पंचायत स्तर पर उपलब्ध पशु चिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में नगर पंचायत/नगर पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी एवं उस स्तर पर उपलब्ध वरिष्ठतम पशु चिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तथा नगर निगम स्तर पर नगर आयुक्त एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा।

(iii) इन खातों में स्थायी/अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के मात्र भरण–पोषण/संचालन हेतु सभी माध्यम से प्राप्त धनराशि रखी जायेगी।

2.3 संचालन/भरण–पोषण हेतु चिन्हित गोवंश आश्रय स्थलों में पशुओं की संख्या सत्यापन विषयक प्रकियाः–

(i) सभी गोवंश आश्रय केन्द्र जहॉ पर गोवंश संरक्षित किये गये हैं, उन सभी केन्द्रों के संचालन हेतु स्थानीय लोगों की समिति बनाकर गोवंश के भरण–पोषण की जिम्मेदारी दी जाये।

(ii) प्रत्येक केन्द्र पर संरक्षित गोवंश के विवरण हेतु एक पंजिका बनायी जाये, जिसमें प्रतिदिन तथा क्रमिक संरक्षित पशुओं की संख्या का विवरण (प्रजाति, आयु व लिंग आदि) रखा जाये तथा इससे संबंधित सुसंगत स्तर पर उपलब्ध/तैनात विभिन्न विभागों (यथा पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशु पालन विभाग, पुलिस विभाग आदि जैसा जिलाधिकारी द्वारा विहित किया जाये) के कर्मियों द्वारा प्रतिदिन भौतिक सत्यापन कराया जाये। यथासंभव प्रतिदिन भौतिक सत्यापन/पशुओं की संख्या विषयक साक्ष्य (फोटो, वीडियो, टैगिंग आदि) भी रखा जाये।

(iii) सत्यापित गोवंश की संख्या के आधार पर ही भरण–पोषण हेतु अनुदान की मॉग आश्रय स्थल संचालन समिति द्वारा की जायेगी।

2.4 चिन्हित गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन/भरण–पोषण को प्रथम बार (first time) दी जाने वाली अनुदान/धनराशिः–

(i) उपरोक्त प्रस्तर–2.1 के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित गोवंश आश्रय स्थलों पर प्रथम बार (first time) अनुदान/धनराशि दी जायेगी।

Scanned by CamScanner

(ii) यह प्रथम बार की धनराशि प्रथम बार (first time) स्वीकृति की तिथि को (प्रस्तर–2.3 के अनुसार) उपलब्ध पशुओं की संख्या के आधार पर 30 रूपये अथवा शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर से प्रतिदिन प्रति पशु के आधार पर संचालन/भरण–पोषण की धनराशि 02 माह अर्थात् 60 दिनों हेतु प्रथम बार में सीधे सुसंगत स्तर पर प्रस्तर–2.2 के अनुसार खोले गये गोवंश आश्रय स्थल संचालन/भरण–पोषण विषयक खाते में RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) यह प्रथम बार की धनराशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका समायोजन 30 दिन (01 माह/अगले माह) के पश्चात् अधिकतम 01 सप्ताह में किया जायेगा। इस समायोजित धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु मॉग सक्षम प्राधिकारी/समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस प्रतिपूर्ति हेतु मॉग के साथ सत्यापन विषयक फोटो/वीडिया साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 03 दिवस के अन्दर मॉग की गयी धनराशि का अन्तरण सम्बन्धित सुसंगत स्तर के खातों में RTGS के माध्यम से किया जायेगा। (iv) यदि पशुओं की संख्या में कमी अथवा वृद्धि होती है तो उसके सापेक्ष मॉग के अनुसार सुसंगत धनराशि के अन्तरण में कमी अथवा वृद्धि होगी।

(v) यदि पशुओं की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है तो गोशाला से संबंधित संचालन समिति गत माह के समायोजन के साथ नयी मॉग सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी। सक्षम प्राधिकारी अपने स्तर से इस अप्रत्याशित नयी मॉग का सत्यापन कराते हुए 03 दिवस के अन्दर धनराशि का अन्तरण सुनिश्चित कराऍगे।

2.5 भरण–पोषण/संचालन हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि व खाते का लेखा–जोखा व सम्प्रेक्षण (audit):–

(i) उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष बिल का लेखा–जोखा सुसंगत स्तरीय समिति के द्वारा रखा जायेगा, यदि किसी भी स्तर पर 01 से अधिक गोवंश आश्रय स्थल संचालित किये जा रहे हों तो भरण–पोषण/संचालन हेतु वित्त पोषण खाता एक होने के बावजूद भी गोवंश आश्रय स्थलों का लेखा–जोखा पृथक्–पृथक् रखा जायेगा।

(ii) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा खातों व बिलों की आन्तरिक सम्प्रेक्षा एवं महालेखाकार के द्वारा बाह्य संप्रेक्षा किया जायेगा।

(iii) जनपद स्तरीय खातों का सम्प्रेक्षण महालेखाकार एवं स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से concurrent आडिट/कन्करन्ट सम्प्रेक्षण (दोनों के द्वारा) किया जायेगा।

2.6 तहसील/क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति द्वारा संचालन/भरण–पोषण हेतु दी गयी धनराशि विषयक भूमिका:–

(i) तहसील/क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति द्वारा अस्थायी गो आश्रय स्थलों का औचक निरीक्षण किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि के वितरण, सदुपयोग, पशुओं की संख्या, जिसके लिए धनराशि व्यय की जा रही है, संरक्षित गोवंश का रखरखाव सम्बन्धित समिति द्वारा ठीक प्रकार से किया जा रहा है।

(ii) तहसील/क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति द्वारा किये गये औचक निरीक्षण विषयक फोटो, वीडियो, निरीक्षण आख्या आदि के माध्यम से जिलास्तरीय समिति को अवगत कराया जायेगा।

Scanned by CamScanner

3. कृपया उपरोक्त प्रकियानुसार भरण पोषण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए तत्काल उपयोग की गयी धनराशि की प्रगति से शासन को नियमित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

16.2.19.

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव

संख्याः 313(1)/सैतीस–2–2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10. महालेखाकार, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
12. निदेशक, प्रशासन एवं विकास. पशुपालन विभाग, उ0प्र0. लखनऊ।
13. निदेशक, कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
14. सचिव, गो सेवा आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव

Scanned by CamScanner